

19.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है प्रकरण 2015 से तलबी स्तर पर चल रहा है। प्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असाततन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थीगण के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इनुमानगढ़